प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा

द्वितीय अपील क्रमांक 233 / 2008

बी. श्री निवास कुमार

बनाम

बी. कृष्णमूर्ति एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

दिनांक:03-03-2010 को सूचीबद्ध करे।

सही/-

(प्रशांत कुमार मिश्रा)

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा

द्वितीय अपील क्रमांक 233 / 2008

अपीलार्थी: बी. श्री निवास कुमार

बनाम

प्रत्यर्थीगण: बी. कृष्णमूर्ति एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:

सुश्री फौज़िया मिर्ज़ा, अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता।

श्री एम.पी.एस. भाटिया, प्रतिवादी क्रमांक 1 की ओर से अधिवक्ता।

सुश्री संगीता मिश्रा, राज्य/प्रतिवादी क्रमांक 2 की पैनल अधिवक्ता।

द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 100, सिविल प्रक्रिया संहिता

आदेश

(दिनांक 05 मार्च, 2010 को पारित)

वर्तमान द्वितीय अपील, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अंतर्गत अपीलार्थी/प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा दायर की गई है, जिसके विरुद्ध प्रतिवादी क्रमांक 1/वादी (पिता) द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा एवं कब्जा प्राप्ति के लिए वाद दायर किया गया था। वाद को प्रथम न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया, किन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वादी द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए, विचरण न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री को निरस्त कर दिया और वादी के वाद को दिनांक 29-04-2008 के निर्णय द्वारा स्वीकार कर दिया। वाद दायर किए जाने की तारीख 14-08-2003 को वादी (पिता) की आयु 72 वर्ष थी, अतः वर्तमान में उनकी आयु लगभग 79 वर्ष है। प्रतिवादी क्रमांक 1 अपीलार्थी जो है वह वादी/प्रत्यर्थी क्र. 1 का पुत्र है। आगे वादी/प्रत्यर्थी क्र. 1 को 'पिता' तथा प्रतिवादी क्रमांक 1/अपीलार्थी को 'पुत्र' कहा जाएगा।

2. पिता ने अपने पुत्र के विरुद्ध यह वाद इस आधार पर दायर किया कि वह भिलाई स्टील प्लांट में कार्यरत थे और उन्होंने अपने वेतन आय से वर्ष 1988 में वाद-ग्रस्त वादग्रस्त मकान (हाउस नंबर एम.आई.जी-2/210, हुड्को, शहीद कौशल नगर, भिलाई नगर, तहसील एवं जिला दुर्ग) खरीदा था। अतः यह वादग्रस्त मकान उनकी स्व-अर्जित संपत्ति है। वे इसी वादग्रस्त मकान में रहते थे, जिसे वादपत्र में अनुसूची 'क' में वर्णित किया गया है। उनके दो पुत्र और एक पुत्री हैं तथा तीनों के विवाह हो चुके हैं। प्रतिवादी क्रमांक 1 अपीलार्थी जो है वह वादी (पिता) का दूसरा पुत्र है। वादी (पिता) के अनुसार, उसका पुत्र दिनांक 13-10-1999 को उसके पास आया और पिता से कुछ समय के लिए वादग्रस्त मकान में रहने की अनुमति माँगी। परंतु बाद में पुत्र ने पिता से झगड़ा करना शुरू कर दिया, उसके साथ मार पीट किया तथा अंततः उसे वादग्रस्त वादग्रस्त मकान से बाहर निकाल दिया। परिणामस्वरूप पिता वर्तमान पते पर रह रहा है। पुत्र, पिता पर दबाव बना रहा है कि वह वादग्रस्त मकान उसे सौपकर उसके नाम पर हस्तांतरण कर दे और उसे प्रताड़ित कर रहा है। पुत्र पिता के साथ गाली गलोच कर रहा है और उसे धमका रहा है और उसने इस संबंध में पिता ने कोतवाली थाने में शिकायत भी दर्ज कराई। शिकायत करने के बाद पिता को घर में प्रवेश से रोक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिया है। यह कहता है कि यदि वह घर में प्रवेश करेगा तो वह अपने पिता को मार देगा। वादी हा यह भी कथन है कि वह हृदय रोगी है तथा अपने ही पुत्र द्वारा घर से निकाले जाने की वजह से बेघर हो गया है। वह अब एक लॉज में रह रहा है। कई बार समझाने-बुझाने पर भी पुत्र ने वादग्रस्त मकान का कब्जा वापस देने से इनकार कर दिया।

3. प्रतिवादी (पुत्र) ने अपना लिखित कथन प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि उसने भी वादग्रस्त मकान खरीदने में योगदान दिया है और वह पुत्र होने के नाते वादग्रस्त मकान में रह रहा है और रहने का अधिकार रखता है। उसने वाद पत्र में किए गए सभी प्रतिकूल अभिवचनों का खंडन किया। पुत्र के अनुसार, पिता ने उसके पालन-पोषण में ध्यान नहीं दिया और उसे बचपन में ही घर से निकाल दिया गया था। पुत्र के अनुसार, चूँकि पहला पुत्र, अर्थात उसका बड़ा भाई, पिता की देखभाल नहीं कर रहा था, इसलिए पिता ने उसे अपने साथ रहने के लिए बुलाया था तथा उसने वादग्रस्त मकान की मरम्मत में पर्याप्त धनराशि खर्च की है। आगे लिखित कथन में यह भी कहा गया कि पिता को बड़े भाई, अर्थात पिता के पहले पुत्र द्वारा उकसाया गया है और इसी कारण से वर्तमान वाद पुत्र को परेशान करने के उद्देश्य से दायर किया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि वाद का समुचित मूल्यांकन नहीं किया गया है, क्योंकि कब्ज़ा दिलाने हेतु वाद का मूल्यांकन संपत्ति के बाज़ार मूल्य के अनुसार किया जाना चाहिए था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. प्रथम न्यायालय ने वाद मूल्यांकन और न्याय शुल्क से संबंधित अतिरिक्त विवाद्यक क्रमांक 2 को वादी के विरुद्ध निर्णयित किया। प्रश्न क्रमांक 1 का निर्णय करते हुए प्रथम न्यायालय ने यह पाया कि वादग्रस्त मकान पिता का ही है, परंतु वाद का गलत मूल्यांकन करने और पर्याप्त न्याय शुल्क नहीं चुकाए जाने के कारण निरस्त कर दिया।

5. पिता द्वारा दायर प्रथम अपील को विवादित निर्णय एवं डिक्री द्वारा स्वीकार किया गया। मूल्यांकन एवं न्यायालय-शुल्क के भुगतान के प्रश्न पर, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय के अनुच्छेद 17 एवं 18 में यह निष्कर्ष दिया की पुत्र का कब्ज़ा अनुज्ञाधारी के रूप में है और चूँकि वाद परिसर खाली करने हेतु विधिक नोटिस (प्रदर्श पी-2) जारी कर उसकी लाइसेंस समाप्त किए जाने के बाद दायर किया गया है, अतः स्थायी निषेधाज्ञा एवं कब्ज़ा सौंपे जाने का वाद न्यायालय-शुल्क अधिनियम, 1870 की धारा 7(iv)(d) के अंतर्गत समुचित रूप से मूल्यांकन किया गया है।

6. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा यह मानना कि वर्तमान मामला लाइसेंस का है, त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि उनके अनुसार वादपत्र में ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है। इस कारण प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री किसी भी प्रकार के अभिवचन पर आधारित नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि यदि वादी लाइसेंस के आधार पर नोटिस जारी करता है, तो उसे लाइसेंस की शर्तों का स्पष्ट रूप से कथन करना एवं उन्हें सिद्ध करना आवश्यक होता है, और ऐसे कथन व प्रमाण के अभाव में वाद स्वीकार नहीं किया जा सकता था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों तथा उनके द्वारा संदर्भित निम्नलिखित निर्णयों पर विचार किया गया (1) *डी.एच, मनियर बनाम वामन लक्ष्मण कुन्दव*, (1976) 4 SCC 118 (2) P. *विजया एवं अन्य बनाम एम. सान्थानराज*, (2000) 9 SCC 287 (3) *कारपोरेशन ऑफ़ कैलिकट बनाम के. श्रीनिवासन*, (2002) 5 SCC 361 (4) *अचिन्तया कुमार साहा बनाम नानी प्रिंटाइनर्स एवं अन्य*, (2004) 12 SCC 368 इन निर्णयों का उल्लेख अभिवचन के समधनी में किया गया: (क) कि वर्तमान वाद लाइसेंस का मामला नहीं है, तथा (ख) लाइसेंस से संबंधित कोई अभिवचन या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. *कारपोरेशन ऑफ़ कैलिकट बनाम के. श्रीनिवासन* (उपरोक्त) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *एसोसिएटेड होटल्स ऑफ़ इंडिया बनाम आर.एन.कपूर* , AIR 1959 SC 1262 के विख्यात निर्णय पर भरोसा करते हुए कहा कि लाइसेंस को सुखाधिकार अधिनियम 1882 की धारा 52 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है और "यदि किसी दस्तावेज के माध्यम से केवल संपत्ति के किसी विशेष प्रकार से उपयोग का अधिकार प्रदान किया जाता है, जबकि संपत्ति का कब्जा एवं नियंत्रण स्वामी के पास रहता है — तो वह लाइसेंस होगा। इस स्थिति में विधिक अधिकार स्वामी के पास ही रहता है, किंतु लाइसेंसी को परिसर का उपयोग करने की अनुमति होती है। बिना अनुमति उसका कब्ज़ा अवैध होगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. वर्तमान मामले में, वादपत्र के अनुच्छेद 7 में यह अभिवचन किया गया है कि पुत्र दिनांक 13-10-1999 को पिता के पास आया और पिता ने उसे अपने घर में आश्रय लेने की अनुमति दी; किन्तु बाद में पिता को घर से निकाल दिया गया। जब विधिक नोटिस (प्र.पी-2) को वादपत्र के अनुच्छेद 7 के संदर्भ में पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट है कि वादी ने लाइसेंस का अभिवचन किया है तथा नोटिस द्वारा उसका समापन दर्शाया है पुत्र से वादग्रस्त मकान को खाली करने का आग्रह करते हुए। इस प्रकार, अपीलार्थी का यह तर्क कि लाइसेंस संबंधी कोई अभिवचन या प्रमाण उपलब्ध नहीं है, स्वीकार्य नहीं है।

10. वाद मूल्यांकन और न्याय-शुल्क के संबंध में उठाई गई तर्क केवल उल्लेख करने योग्य है और अस्वीकार की जाती है। ठा. मिल्खा सिंह व अन्य बनाम ठा. डीआना व अन्य, ए.आई.आर 1964 जम्मू व कश्मीर 99 में जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालयकी खंडपीठ ने अभिनिर्धारित किया है की"लाइसेंसी, लाइसेंसी ही रहता है चाहे लाइसेंस निवास हेतु हो या आकस्मिक आगमन हेतु, या

किसी अन्य प्रयोजन हेतु। लाइसेंसी की स्थिति लाइसेंस के उद्देश्य के अनुसार परिवर्तित नहीं होती। 'एक बार लाइसेंसी,हमेशा लाईसेंसी रहता है' का सिद्धांत सभी प्रकार के लाइसेंस पर लागू होता है।"

उपरोक्त निर्णय की कंडिका 7 में उपरोक्त निर्णय के बाद उसी निर्णय की कंडिका 8 में खंडपीठ ने अभिनिर्धारित किया है की"यह नहीं कहा जा सकता कि क्योंकि सामान्य उपाय कब्ज़ा प्राप्ति का वाद दायर करना है, इसलिए विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 56(1) के प्रकाश में आज्ञापक निषेधाज्ञा का उपाय वर्जित है। स्पष्ट है कि यदि लाइसेंसी को अनधिकार प्रवेशी माना जाए, तो उसके विरुद्ध कब्ज़ा प्राप्ति का वाद धारा 7(v), न्याय-शुल्क अधिनियम के अंतर्गत देना होगा और वादी को संपत्ति के मूल्य पर वाद मूल्यानुसार न्याय-शुल्क देना पड़ेगा। इसलिए, कब्ज़ा प्राप्ति हेतु वाद प्रस्तुत करना कष्टदायक उपाय है और धारा 56(1) विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के अर्थ में समान रूप से प्रभावकारी नहीं कहा जा सकता। यदि धारा 56 की उधरतापूर्वक व्याख्या की जाए, तो धारा 55 के प्रावधान निष्प्रभावित हो जाएँगे और प्रत्येक दायित्व-उल्लंघन के मामले में वादी को कब्ज़ा प्राप्ति एचवीटीयू वाद प्रस्तुत करने का ही सहारा लेना पड़ेगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपरोक्त निष्कर्ष देने के बाद पुनः जम्मू और कश्मीर उच्च नयालय की खंडपीठ ने प्रतिवेदन की कंडिका 9 में आगे यह अभिनिर्धारित किया है की "जहाँ लाइसेंसी के विरुद्ध सिर्फ़ निषेधाज्ञा का वाद दायर किया जाता है जिसका लाइसेंस समाप्त हो चुका है, वहाँ न्याय-शुल्क अधिनियम की धारा 7(iv)(ध) लागू होगी, न कि धारा 7(v)।"

11. ठा. *मिल्खा सिंह व अन्य बनाम* ठा. *डीआना व अन्य* (पूर्वत) में प्रतिपादित उपर्युक्त सिद्धांत वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर पूर्णतया लागू होते हैं।

12. ठा. *मिल्खा सिंह व अन्य बनाम* ठा. *डीआना व अन्य* (पूर्वत) के निर्णय में जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय ने दो अंग्रेज़ी निर्णयों का उल्लेख किया है *मिनिस्टर ऑफ हेल्थ बनाम बेलोट्टी,* (1944) 1 ऑल इंग्लैंड लॉ रिपोर्ट्स 238 *थॉम्पसन बनाम पार्क*, (1944) 2 ऑल इंग्लैंड लॉ रिपोर्ट्स 477 ईन निर्णयों में यह प्रतिपादित किया गया है कि लाइसेंसी को बेदखल करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा का वाद सदैव सुनवाई योग्य माना गया है। प्रथम मामले में, उस लाइसेंसी के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी की गई जो लाइसेंस की समाप्ति के बाद भी कब्ज़े में था। उस प्रकरण में यह कहा गया कि लाइसेंसी को युक्तिसंगत नोटिस दिया जाना आवश्यक है ताकि वह अपना सामान समेट सके और परिसर खाली कर सके। यह पाया गया कि यद्यपि उस मामले में दिया गया नोटिस पर्याप्त अवधि का नहीं था, तथापि वाद दायर होने के कारण लाइसेंसी को परिसर खाली करने हेतु पर्याप्त समय मिल गया था, अतः निषेधाज्ञा दी जा सकती थी। दूसरे मामले में यह निर्णय दिया गया कि जहाँ प्रतिवादी परिसर का लाइसेंसी था, और वादी द्वारा लाइसेंस रद्द कर दिए जाने के पश्चात उसने पुनः परिसर में प्रवेश किया, तो वह अतिक्रमणकारी (ट्रेसपासर) हो जाता है और वादी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. वर्तमान मामले में भी, इस न्यायालय ने पाया है कि वाद को और विशेष रूप से उसके खंड 7 को विधिक नोटिस (प्र.पी.2) के साथ पढ़ने से, यह लाइसेंस का और लाइसेंसी को परिसर खाली करने के लिए कहकर मुकदमा दायर करने से पहले इसे समाप्त करने का मामला है। जहाँ तक लाइसेंस की शर्तों और निबंधनों के बारे में अभिवचनों की अनुपस्थिति के संबंध में तर्क है, यह उल्लेख करना पर्याप्त होगा कि एक पिता और पुत्र के बीच, जब पिता ने पुत्र को बिना किसी शुल्क या किराए के परिसर पर कब्जा करने की अनुमति दी थी, तो यह माना जाएगा कि लाइसेंस के साथ कोई शर्त संलग्न नहीं थी और यह पिता द्वारा पुत्र के पक्ष में परिसर के उपयोग की केवल अनुमति का मामला है, और इस प्रकार, यह बिना किसी शर्त के सिर्फ़ लाइसेंस का मामला है। इसलिए, लाइसेंस की शर्तों और निबंधनों के बारे में कोई अभिवचन नहीं हो सकता था। मैं अपीलार्थी की

विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क पर, *मिनिस्टर ऑफ हेल्थ बनाम बेलोट्टी* (उपरोक्त) में अंग्रेजी निर्णय के कुछ पैराग्राफ को फिर से लाभप्रद रूप से उद्धृत करता हूँ। वे कण्डिकाए निम्न अनुसार है:

"मामले के सारगर्भित बिंदु के संबंध में, उठाया गया प्रश्न कुछ हित का है। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, प्रतिवादी उन परिसरों के संबंध में मूल्यवान प्रतिफल के लिए लाइसेंसी थे जिन पर उनका कब्जा था, और लाइसेंस उन्हें अपने फ्लैटों में रहने, स्वयं का फर्नीचर रखने, जो वास्तव में उनके पास था, और कुछ अन्य सुविधाओं के अलावा अपनी पत्नियों और परिवारों को वहाँ रखने की अनुमति तक विस्तारित था। मुझे लगता है कि उन परिस्थितियों को याद रखना महत्वपूर्ण है जिनमें वह लाइसेंस प्रदान किया गया था। यह वाणिज्यिक आधार पर दिया गया लाइसेंस का मामला नहीं है, न ही यह केवल दोस्ती या दयालुता के कारण दिया गया लाइसेंस है। यह राज्य के एक विभाग द्वारा एक बहुत उच्च कर्तव्य के तहत उन व्यक्तियों को दिया गया लाइसेंस था, जिन्हें युद्ध की बाध्यताओं के कारण और अपनी कोई गलती न होते हुए, सरकारी कार्रवाई द्वारा उनके घरों से हटा दिया गया था और इस देश में लाया गया था। कोई भी सभ्य-मानसिकता वाला व्यक्ति संभवतः यह सुझाव नहीं दे सकता है और वास्तव में यह अकल्पनीय है कि उन परिस्थितियों में, सरकार को इन व्यक्तियों की देखभाल और कल्याण के लिए एक बहुत मजबूत जिम्मेदारी की भावना के तहत काम करने के अलावा और कुछ करना चाहिए। इस लाइसेंस का अनुदान, या इसके जैसा कुछ, मंत्री पर उस ओर सरकारी कर्तव्यों के साथ सौंपे गए व्यक्ति के रूप में आवश्यक था। मैं इसका उल्लेख इस कारण से कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि, जहाँ एक लाइसेंस प्रदान किया जाता है और इसे समाप्त करने के वैध तरीके के रूप में एक प्रश्न उठता है, तो जिन परिस्थितियों में लाइसेंस प्रदान किया गया था, वे विचार करने के लिए सबसे अधिक सुबंगत मामले हैं, खासकर जब हम इस प्रश्न का सामना कर रहे हैं: लाइसेंस को कैसे, और किन परिस्थितियों में और किन शर्तों पर समाप्त किया जा सकता है? जहाँ

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कोई लाइसेंस एक अनुबंध के तहत प्रदान किया जाता है, तो यह बहुत संभव है कि अनुबंध उन मामलों के लिए स्पष्ट प्रावधान करेगा। जहाँ ऐसा होता है, लाइसेंस को समाप्त करने आदि के संबंध में उन स्पष्ट प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए। लेकिन उस मामले में क्या होगा जहाँ अनुबंध उन मामलों पर मौन है? मैं यह दृष्टिकोण अपनाता हूँ कि विधि का कोई कठोर सिद्धांत है जो हर प्रकार के अनुबंध के लिए, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हों और जिस उद्देश्य के लिए इसे दर्ज किया गया था, एक नियम निर्धारित करता है जिसे हमेशा संचालित करना है। मेरी राय में, सत्य नियम यह है कि उन मामलों पर अनुबंध के निहितार्थ को मामले की सभी सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना है। यहाँ प्रिवी काउंसिल के निर्णय से एक बहुत छोटा अंश उद्धृत कर सकता हूँ *कैनेडियन पैसिफिक आर.वाई. कंपनी बनाम आर.* (2)। उस निर्णय में, निम्नलिखित कंडिका पृष्ठ 432 पर दिखाई देता है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "किसी लाइसेंस को रद्द करने की शक्ति पर कोई प्रतिबंध है या नहीं, तथा यदि है तो कौन सा,जैसा लॉर्डशिप सोचते है, यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।
>
> यह सामान्य अनुप्रयोग का एकमात्र प्रस्ताव है जिसे मैं उस प्राधिकरण से निकालना संभव पाता हूँ, जिस पर मैं बाद में वापस आऊंगा, और यद्यपि मामला, निश्चित रूप से, इस अदालत पर बाध्यकारी नहीं है, मेरी राय में, यदि मैं बड़े सम्मान के साथ कह सकता हूँ, तो कानून को वहाँ पूरी सटीकता के साथ निर्धारित किया गया है।"

14. मिनिस्टर ऑफ हेल्थ बनाम बेलोट्टी (उपरोक्त) में निर्णय के उपरोक्त-उद्धृत कंडिका से मार्गदर्शन लेते हुए और वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करने पर, यह न्यायालय पाता है कि वर्तमान मामला पिता द्वारा पुत्र को दयालुता या सहानुभूति से दिए गए लाइसेंस प्रतीत होता है और इस प्रकार लाइसेंस के साथ कोई शर्त जुड़ी नहीं थी और इसलिए पिता लाइसेंस की शर्तों और निबंधनों के बारे में अभिवचन देने के लिए बाध्य नहीं था।

15. ऊपर चर्चा किए गए बातों के मद्देनजर, इस दूसरी अपील में निर्णय के लिए विधि का कोई सारत प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है, जो यह निष्फल होती है और स्वीकृति स्तर पर ही इसे निरस्त किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

प्रशांत कुमार मिश्रा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Aman Ansari, Advocate.